

मेसर्स शिखर केमिकल्स

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं. 11445 सन् 2025)

08 अगस्त 2025

[न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन]

विचारणीय मुद्दा

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए गए अनुरोध के मद्देनजर दिनांक 04.08.2025 के आदेश में जारी निर्देशों पर पुनर्विचार।

हेडनोट्स

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश - वापस लेना/हटाना - दिनांक 04.08.2025 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया जिसमें संबंधित न्यायाधीश ने धन की वसूली का विशुद्ध रूप से सिविल विवाद होने के बावजूद आपराधिक शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया था और धारित किया था कि उक्त उद्देश्य के लिए सिविल मुकदमे का उपाय अनुचित था - मामला वापस उच्च न्यायालय को भेज दिया गया और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबंधित न्यायाधीश से उनकी सेवानिवृत्ति तक आपराधिक रॉस्टर वापस लेने और उन्हें एक वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ खंडपीठ में बैठाने का अनुरोध करते हुए निर्देश जारी किए गए - उपरोक्त निर्देशों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश का पत्र:

धारित किया गया: इरादा संबंधित न्यायाधीश को शर्मिंदा करने या उन पर आक्षेप लगाने का नहीं था - निर्देश इस बात को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए थे कि आक्षेपित आदेश संबंधित न्यायाधीश का एकमात्र गलत और विकृत आदेश नहीं था जिस पर पहली बार गौर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया गया था, बल्कि समय के साथ ऐसे कई गलत आदेश सामने आए थे - यह केवल कानूनी बिंदुओं या तथ्यों को समझने में संबंधित न्यायाधीश द्वारा की गई त्रुटि या गलती का मामला नहीं था, हालांकि, यह न्यायालय न्याय के हित में और संस्था के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जारी किए जाने वाले उचित निर्देश के बारे में विचार कर रहा था - हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए गए लिखित अनुरोध के सम्मान में, दिनांक 04.08.2025 के आदेश के पैरा 25 और 26 में दिए गए निर्देशों को हटा दिया गया। [पैरा 4, 6, 7]

न्याय प्रणाली - न्यायपालिका - सम्मान और गरिमा - संरक्षण - न्यायालयों/न्यायाधीशों का कर्तव्य।[सर्वश्रेष्ठ 6, 11, 12]

उद्धृत केस लॉ

रिखब बिरानी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 आईएनएससी 512 -संदर्भित

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान

कीवर्ड की सूची

निर्देशों पर पुनर्विचार; भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया अनुरोध ; भारत के मुख्य न्यायाधीश का पत्र; निर्देशों को वापस लेना; निर्देश हटा दिए गए; निर्देश वापस लिए गए; उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध ; संबंधित न्यायाधीश से आपराधिक रॉस्टर वापस लेना; संबंधित न्यायाधीश; संबंधित न्यायाधीश को वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ बैठाने का अनुरोध; सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक जिम्मेदारी; भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार; न्यायपालिका का सम्मान और गरिमा; उच्च न्यायालय के विकृत और अन्यायपूर्ण आदेश; उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक शक्ति; मास्टर ऑफ रॉस्टर; संस्थागत चिंताएँ; कानून का नियम; न्याय वितरण प्रणाली।

वाद उद्धृत

असाधारण अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं. 11445 सन् 2025

ए 482 सं. 2507 सन् 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 05.05.2025 के निर्णय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

एवं आदेश से,

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता : सुरजादीस सेठ, अरिंदम घोष।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. हमें भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से एक अदिनांकित पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें हमसे अनुरोध किया गया है कि हम विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) सं. 11445 सन् 2025 में पारित हमारे दिनांक 04 अगस्त, 2025 के आदेश के क्रमशः पैरा 25 और 26 में हमारे द्वारा जारी निर्देशों पर पुनर्विचार करें।
2. उपर्युक्त परिस्थितियों में, हमने रजिस्ट्री को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने के उद्देश्य से मुख्य मामले को पुनः अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, मामले को आज पुनः अधिसूचित किया गया है।
3. अपने दिनांक 4 अगस्त, 2025 के आदेश द्वारा, हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को निरस्त कर दिया और मामले को विधि के अनुसार नए सिरे से विचार हेतु उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया। विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) सं. 11445 सन् 2025 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, हमने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

“22. परिणामस्वरूप, हम इस याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं। हम इस मामले को क्रिमिनल मिस्लेनियस आवेदन सं. 2507 सन् 2024 पर नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजते हैं। इस न्यायालय के उपर्युक्त दो निर्णयों में दिए गए कथन को ध्यान में रखते हुए, निरस्तीकरण याचिका पर उसके मेरिट के आधार पर पुनः सुनवाई की जाएगी।

23. हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले को उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सौंप दें, जैसा वे उचित समझें।

24. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित न्यायाधीश से वर्तमान आपराधिक निर्णय तुरंत वापस ले लेंगे।

25. मुख्य न्यायाधीश संबंधित न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के एक अनुभवी वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ खंडपीठ में बैठाएंगे।

26. हम यह भी निर्देश देते हैं कि संबंधित न्यायाधीश को उनके पद छोड़ने तक कोई आपराधिक निर्णय नहीं दिया जाएगा। यदि किसी समय उन्हें एकल न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें कोई आपराधिक निर्णय नहीं दिया जाएगा।

27. हम ऊपर उल्लिखित क्रमशः पैरा 22, 23, 24, 25 और 26 में निहित निर्देश जारी करने के लिए बाध्य हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि आक्षेपित आदेश संबंधित न्यायाधीश का एकमात्र त्रुटिपूर्ण आदेश नहीं है जिस पर हमने पहली बार गौर किया है। हमने समय-समय पर ऐसे कई त्रुटिपूर्ण आदेशों पर गौर किया है।"

4. सबसे पहले, हमें यह स्पष्ट करना होगा कि हमारा इरादा संबंधित न्यायाधीश को शर्मिंदा करने या उन पर आक्षेप लगाने का नहीं था। हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हालाँकि, जब मामला हद पार कर जाता है और संस्था की गरिमा खतरे में पड़ जाती है, तो इस न्यायालय का संवैधानिक दायित्व बनता है कि वह हस्तक्षेप करे, भले ही वह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य कर रहा हो। पैरा 25 और 26 में दिए गए निर्देश पैरा 27 में दी गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए थे। पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम पैरा 27 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करते हैं:-

"27. हम ऊपर उल्लिखित क्रमशः पैरा 22, 23, 24, 25 और 26 में निहित निर्देश जारी करने के लिए बाध्य हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि आक्षेपित आदेश संबंधित न्यायाधीश का एकमात्र त्रुटिपूर्ण आदेश नहीं है जिस पर हमने पहली बार गौर किया है। हमने समय-समय पर ऐसे कई त्रुटिपूर्ण आदेशों पर गौर किया है।"

5. इसी प्रकार, जब भी हमें कानूनी रूप से निर्विवाद आदेश और ऐसे आदेश मिलते हैं जिनसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वादियों को पूर्ण न्याय सुनिश्चित हुआ है, हमने हमेशा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के प्रति अपनी सराहना व्यक्त की है। उच्च न्यायालय अलग द्वीप नहीं हैं जिन्हें इस संस्था से अलग किया जा सके और हम दोहराते हैं कि हमारे आदेश में जो कुछ भी कहा गया है, वह यह सुनिश्चित करने के लिए था कि न्यायपालिका की गरिमा और अधिकार समग्र रूप से इस देश के लोगों के मन में उच्च बना रहे, क्योंकि इससे हम पर जो विश्वास जताया गया है, उसे और मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी।

6. यह केवल संबंधित न्यायाधीश द्वारा कानूनी बिंदुओं या तथ्यों को समझने में की गई भूल या त्रुटि का मामला नहीं है। हम न्याय के हित में और संस्था के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए उचित निर्देश जारी करने पर विचार कर रहे थे। इस देश में वादी न्याय पाने के लिए विभिन्न न्यायालयों का रुख करते हैं। इस देश के 90% वादियों के लिए, उच्च न्यायालय न्याय का अंतिम न्यायालय होता है। केवल शेष 10% ही सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। न्यायालय आने वाले वादी न्याय व्यवस्था से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह कानून के अनुसार कार्य करे, न कि बेतुके या तर्कहीन आदेश दे।

7. मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, चूंकि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित रूप में अनुरोध किया गया है, और उसी के अनुरूप, हम 4 अगस्त, 2025 के अपने आदेश से क्रमशः पैरा 25 और 26 को हटाते हैं। आदेश को तदनुसार सही किया जाए।

8. यद्यपि हम अपने दिनांक 04 अगस्त, 2025 के आदेश से क्रमशः पैरा 25 और 26 को हटा रहे हैं, हम इस मामले को देखने का काम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर छोड़ते हैं।

9. हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही रोस्टर के स्वामी होते हैं। लेकिन, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमारे निर्देश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक शक्ति में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जब मामले कानून के शासन को प्रभावित करने वाली संस्थागत चिंताओं को जन्म देते हैं, तो यह न्यायालय हस्तक्षेप करने और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाता है।

10. हाल ही में, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने *रिखब बिरानी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2025 आईएनएससी 512 में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

“हम उत्तर प्रदेश राज्य पर 50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) का जुर्माना लगाने के लिए भी विवश हैं , क्योंकि इस न्यायालय के बार -बार के निर्णयों/आदेशों के बावजूद, हमारे पास सिविल गलतियों के मामलों की बाढ़ आ गई है, जिन्हें आरोप-पत्र आदि दाखिल करके आपराधिक कार्यवाही का विषय बनाया जा रहा है।”

11. हमें आशा है कि भविष्य में हमें किसी भी उच्च न्यायालय से ऐसे विकृत और अन्यायपूर्ण आदेश देखने को नहीं मिलेंगे। उच्च न्यायालयों का प्रयास सदैव विधि के शासन को बनाए रखना और संस्थागत विश्वसनीयता बनाए रखना होना चाहिए। यदि न्यायालय के भीतर ही विधि के शासन को बनाए नहीं रखा गया या संरक्षित नहीं किया गया , तो यह देश की संपूर्ण न्याय व्यवस्था का अंत होगा।

12. किसी भी स्तर के न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कुशलतापूर्वक कार्य करें , अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें तथा अपनी संवैधानिक शपथ को पूरा करने के लिए सदैव कठोर प्रयास करें।

13. उपर्युक्त के साथ, हम विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण करते हैं।

14. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति शीघ्रातिशीघ्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित की जाए।

मामले का परिणाम: विशेष अनुमति याचिका निस्तारित की गई।

हेडनोट्स द्वारा: दिव्या पांडे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।